Title: Need to stop harassment of Rajasthani truck-drivers, by the state police and transport officers in Bihar and Uttar Pradesh.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, वैसे तो मोटर वाहन एक्ट सेंट्रल एक्ट है लेकिन अलग-अलग राज्यों में गोल्डन टोकन के नाम पर अधिकारी लोग अलग-अलग तरीकों से ट्रक मालिकों से ज्यादा पैसा लेने का काम करते हैं। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट्स का बिजनैस सबसे ज्यादा है। राजस्थान से ट्रक बिहार, कोलकाता, उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं। जो ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश जाते हैं वे 15-20 की संख्या में एक साथ चलते हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिस उन्हें बहुत परेशान करती है। कुछ दिन पहले बिहार के कुदरा पुलिस स्टेशन में एक ट्रक चालक देवाराम को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मारा और फिर उस पर ट्रक चढ़ा दिया। बिहार विधान सभा में भी यह मामला उठा था। हमारे ट्रक जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जाते हैं उनकी ड्राइवरों की जान को खतरा बना रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां से हमारे ट्रक निकलते हैं वहां उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उन्हें परेशान न करें।